

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.1(18)एमई/ग्रुप-1/2015

जयपुर, दिनांक 12 JUN 2018

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.05.2018 के द्वारा गेस्ट्रोएण्ट्रोलोजी विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम-31 के अनुसार गेस्ट्रोएण्ट्रोलोजी विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची एतद्वारा प्रसारित की जाती है :-

वरिष्ठ आचार्य/आचार्य

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	डीएसीपी चयन वर्ष	डीएसीपी के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. सन्दीप निझावन	सामान्य	16.11.1959	2011-12	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2011
2.	डॉ. एस.एस.शर्मा	सामान्य	03.08.1957	2011-12	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2011
3.	डॉ. नरेन्द्र कुमार भार्गव	सामान्य	16.07.1959	2013-14	वरिष्ठ आचार्य 01.01.2013
4.	डॉ. रूपेश पोखरना	सामान्य	14.10.1962	2014-15	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2014
5.	डॉ. भरत सपरा	सामान्य	18.12.1963	2017-18	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2017
6.	डॉ. सुनील कुमार दाधीच	सामान्य	26.08.1967	2014-15	आचार्य 01.04.2014
7.	डॉ. महावीर प्रसाद शर्मा	सामान्य	17.03.1971	2015-16	आचार्य 01.04.2015
8.	डॉ. विपिन कुमार माथुर	सामान्य	31.07.1966	2016-17	आचार्य 01.04.2016

सहायक आचार्य

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि/कार्यग्रहण तिथि
1.	डॉ. सुशील फलोदिया	सामान्य	27.07.1977	12.09.2012 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि)
2.	डॉ. आशीष जोशी	सामान्य	05.09.1969	08.09.2013 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि)
3.	डॉ. प्राचीश आशधीर	सामान्य	15.02.1975	10.09.2012 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि)
4.	डॉ. गोरव कुमार गुप्ता	सामान्य	27.05.1982	12.09.2012 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि)
5.	डॉ० अनिल शर्मा	सामान्य	01.08.197	26.07.2013 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि)
6.	डॉ० सावीर हुसैन	अपिव	07.08.1973	19.06.2013 (प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि)

आज्ञा से,

(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर।
3. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक मेडिकल कॉलेज।
5. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव